

न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का टापरवाड़ा

बहक श्री रणवीरसिंह, कजोडसिंहपिठ

पुत्र श्री दुर्जनसिंह

जाति राजपूत नि जिम्बोला

मुकदमा नं. 22 / 2017

राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 07/09/17

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम जिम्बोला खसरा नम्बर 458 563 कुल रकबा 0.0400 हैक्टर किरम सिवायचक (राजकीय भूमि) पर फसलखरीफ 1 संवत् 2074 में श्री 0.02 ' 0.02 पुत्र श्री दुर्जनसिंह जाति राजपूत निवारी रणजीतसिंह, कजोडसिंहपिठ (जिस आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा मकान व बाड़ा बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी राज. भू. से रणवीरसिंह उपस्थित हुआ। रणवीरसिंह द्वारा लिखित में जवाब पेश किया गया जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम जिम्बोला ख.न. 458, 563 कुल रकबा 0.0400 किरम सिवायचक पर फसलखरीफ 1 संवत् 2074 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर मकान व बाड़ा बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते हैं कि :-

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से वेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 3/- प्रति हे. का 50 गुणा रूपया 1.00 रु. (रूपये एक रूपया जुमाना) शास्ति कायम की जाती है।

निर्णय की कियान्विती हेतु पटवारी हल्का टापरवाड़ा भु. अभिलेख निरीक्षक रिड्ड एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील साखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/09/17 का सरे इजलास सुनाया।

नायब तहसीलदार भकरी मौलास
नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)